भारतीय न्याय संहिता 2023

- भारतीय न्याय संहिता 2023 का ड्राफ्ट अमित शाह ने तैयार किया
- कुल धारा :- 358
- कुल अध्याय :- 20
- अधिनियम संख्या :- 45 of 2023
- राष्ट्रपति की सहमति :- 25 Dec. 2023
- लागू :- 1 July 2024
- प्रस्तावना :- अपराधों और शास्तियो से सम्बंधित उपबंधो का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

अध्याय : 1 प्रारम्भिक

- धारा 1 : (1) संक्षिप्त नाम :- भारतीय न्याय संहिता 2023
  (2) लागू :- यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। भिन्न भिन्न उपबंधो के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की जा सकेगी। TARGET FOR IQ

IPC :- Sec 1

(3) हर व्यक्ति जो भारत के भीतर अपराध का दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नही।

↳ अंत: प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
↳ Case :- मुबारक अली v/s बम्बई राज्य

(4) कोई व्यक्ति भारत से परे किए गए अपराध के लिए भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर ही किया हो।

(5) इस संहिता के उपबंध

(a) भारत से बाहर और परे किसी स्थान मे भारत के

नागरिक द्वारा

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर

(ग) भारत में अवस्थित कम्प्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना।

स्पष्टीकरण :- अपराध :- के अंतर्गत भारत के बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो भी अपराध होता।

(6) इस संहिता की कोई बात निम्न पर प्रभाव नहीं डालेगी।

- भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर
- सैनिकों, नौसैनिक, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभित्यजन
- विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर

↓

प्रभाव नहीं डालेगी

➤ धारा 2 :- परिभाषाएँ TARGET FOR IQ

2(1) :- "कार्य" :- कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है, जिस प्रकार कार्य का
↳ IPC :- Sec 33

2(2) :- जीव जन्तु :- मानव से भिन्न कोई भी जीव धारी
↳ IPC :- Sec 47

2(3) :- बालक :- अठारह वर्ष से कम आयु का बालक
↳ New Add

2(4) :- कूटकरण :- एक चीज को हूबहू दूसरी चीज के सदृश दिखाना व्यक्ति किसी को प्रवंचना देने के आशय से या जानते हुए प्रवंचना करना। → IPC :- Sec 28

स्पष्टीकरण 1 :- कूटकरण के लिए नकल हूबहू एक जैसी होना आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकरण 2 :- अगर आपने कोई चीज प्रवंचना देने के आशय

से नही बनायी है तब न्यायालय यह मानता है कि उससे प्रवंचना होगी तो व्यक्ति को यह साबित करना होगा।

2(5):- न्यायालय :- शब्द उस न्यायधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है या न्यायधीश निकाय, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो.
↳ IPC: Sec 20

↓

जबकि ऐसा न्यायधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकत: कार्य कर रहा है।

2(6):- मृत्यु :- मानव की मृत्यु शामिल है केवल।
↳ IPC: Sec 46

2(7):- बेईमानी से :- कोई इस आशय से कार्य करता है कि
↳ IPC:-Sec 24

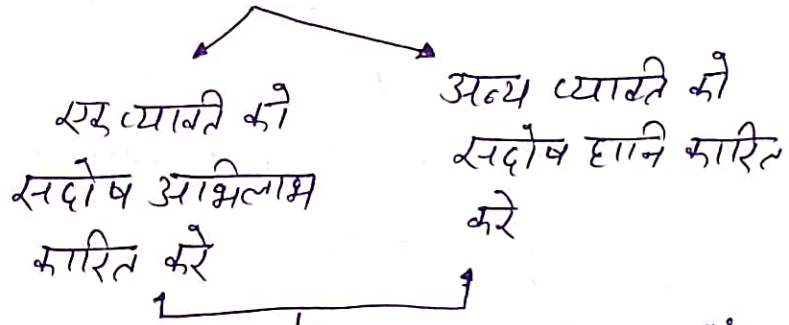

TARGET FOR IQ

Note:- चोरी, लूट, आपराधिक दुर्विनियोग, उद्दापन, इन सबमे "बेईमानी से" होता है।

Note:- "बेईमानी से" का प्रयोग केवल सम्पत्ति (चल अथवा अचल) के लिए ही किया जा सकता है।

2(8):- दस्तावेज :- किसी पदार्थ पर
↳ IPC:-Sec 29

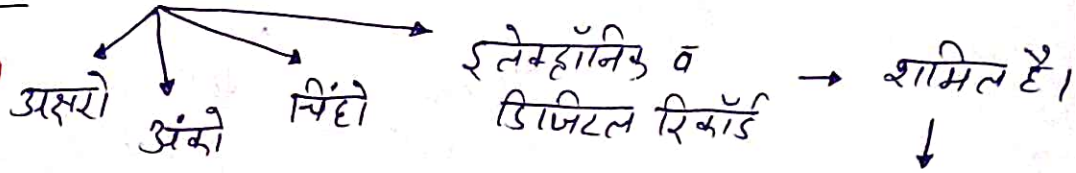

↓

जिनको साक्ष्य के रूप मे प्रयोग लाया जा सके।

(i) किसी संविदा के निबंधनो को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप मे उपयोग किया जा सके

(ii) बैंकरार पर दिया गया चेक

(iii) मुख्तारनामा

(iv) मानचित्र या रेखांक जिन्हे साक्ष्य के रूप मे प्रयोग किया जा सके।

(v) जिस लेख मे निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो

↓

दस्तावेज है।

TARGET FOR IQ

2(9):- कपटपूर्वक :- कोई व्यक्ति किस बात को कपटपूर्वक करता है जब वह उसे कपट करने के आशय से करता है। अन्यथा नही।
↳ IPC: 25

Case: डॉ. विमला v/s दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव (AIR 1963)

↳ धोखाधडी के साथ क्षति + नुकसान होगा तभी "कपटपूर्वक" माना जाएगा।

2(10):- लिंग: पुल्लिंग के अंतर्गत
↓
IPC:- sec 8.

नर, नारी, ट्रांसजेंडर

TARGET FOR IQ

स्पष्टीकरण: ट्रांसजेंडर: वही अर्थ है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारो का संरक्षण) अधि. 2019 की धारा 2( ) मे है।

Case: गिरधर गोपाल v/s State.

2(11):- सद्भावपूर्वक :- कोई बात सद्भावपूर्वक या विश्वास की गयी नही कही जाती
↳ IPC:- Sec 52

सम्यक् सतर्कता, ध्यान के बिना